[2021] 3 एस. सी. आर 1

पनालुर पेपर मिल्स लिमिटेड।

वी.

पश्चिम बंगाल खनिज विकास और व्यापार

निगम लिमिटेड। & ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 738-739 2021 का)

1 मार्च, 2021

[आर. एफ. नरीमन और बी. आर. गवई, जे. जे.]

पश्चिम बंगाल परिसर अधिग्रहण और नियंत्रण (अस्थायी प्रावधान) अधिनियम, 1947-परिसरों का अधिग्रहण-एस का दायरा। 10 ख भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-एस. एस. 4 और 17 (4)-पश्चिम बंगाल अधिग्रहण अधिनियम के तहत अपीलार्थी के स्वामित्व वाले परिसरों की मांग की गई थी।

डब्ल्यूबीएमडीटीसीएल-एस द्वारा। 10 बी को पश्चिम बंगाल अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के तहत मांगी गई संपत्ति को राज्य सरकार द्वारा मांग की तारीख से 25 साल की अवधि की समाप्ति पर या उससे पहले जारी किया जाना था। 4 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत, डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. का कार्यालय प्रदान करने के लिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए परिसर का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी-उक्त अधिसूचना को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी, इस बीच एक और अधिसूचना यू/एस। 4 भूमि अधिग्रहण अधिनियम का प्रावधान जारी किया गया था, इस बार धारा 17 (4) के तहत तत्काल प्रावधान का आह्वान करते हुए-एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करते हुए समग्र अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया कि तत्काल प्रावधान

गलत तरीके से लागू किया गया और डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. को परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा और अधिग्रहण के आदेश को दरकिनार कर दिया और निर्देश दिया कि परिसर का खाली कब्जा अपीलार्थी को सौंप दिया जाना चाहिए-यह भी देखा गया कि डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. 25 साल की समाप्ति के बाद कोई पैसा दिए बिना उक्त संपत्ति का आनंद ले रहा था-यह भी कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट अपीलार्थी को कब्जा दिए जाने तक 16.08.1998 की अवधि के लिए मुआवजे का आकलन करेगा-उक्त आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन अलग-अलग अपील दायर की गई थीं, एक राज्य द्वारा और दूसरी अपीलार्थी द्वारा केवल सीमित आधार पर, अर्थात् मुआवजे का आकलन जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश द्वारा नहीं किया जा सकता है।

डब्ल्यूबीएमडीटीसीएल द्वारा आयोजित: डिवीजन बेंच का विवादित फैसला

[2021] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय का आदेश कानूनी रूप से सही है क्योंकि राज्य एस को शामिल करने की तारीख से नोटिस पर था। 10 बी, कि परिसरों को 15.08.1998 पर या उससे पहले जारी किया जाना होगा-इससे राज्य को कार्य करने और परिसर का अधिग्रहण करने के लिए 11.5 वर्षों का समय मिला, लेकिन राज्य ने मांग अवधि समाप्त होने के लंबे समय बाद अधिसूचना जारी की-इसलिए, राज्य द्वारा दायर अपील खारिज कर दी जाती है-अपीलार्थी द्वारा सीमित आधार पर दायर अपील, अर्थात् मुआवजे की अनुमति है क्योंकि यह प्रावधान के सरसरी पढ़ने से स्पष्ट है कि परिसर के अवैध कब्जे के लिए मुआवजे का आकलन जिला न्यायाधीश द्वारा पश्चिम बंगाल अनुरोध अधिनियम की धारा 11 (1) (बी) के तहत नहीं किया जा सकता है। 11 (1) माँग की अवधि के दौरान मुआवजे को संदर्भित करता है और माँग की अवधि समाप्त होने के बाद भी संपत्ति बिना किसी कानून के अधिकार के राज्य के पास बनी रहती है-इसलिए, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के विवादित फैसले को उस हद तक अलग कर दिया जाता है-मध्यस्थ को यह निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया जाता है कि

बिना किसी कानून के अधिकार के परिसर पर कब्जा करने के लिए नुकसान के रूप में देय मुआवजा-डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. ने परिसर खाली करने का निर्देश दिया।

भारत का संविधानः कला. 12 – राज्य-गैरकानूनी कब्जा-आयोजितः डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल., जो कला के अर्थ में एक "राज्य" है। 12 भारत के संविधान का, गैरकानूनी कब्जे में जारी रहा

आज तक मुआवजे के लिए एक भी पाई का भुगतान किए बिना 15.08.1998 के बाद से परिसर इसलिए, मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है क्षतिपूर्ति का निर्धारण करें जो नुकसान के रूप में देय है

कानून के किसी भी अधिकार के बिना परिसर का कब्जा।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. इस मामले के तथ्यों पर, विवादित निर्णय

उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय कानून की दृष्टि से सही है। इस मामले में, राज्य को पश्चिम बंगाल अनुरोध अधिनियम में धारा 10 बी को शामिल करने की तारीख से 31.03.1987 से नोटिस दिया गया था।

कि परिसर को 15.08.1998 पर या उससे पहले जारी करना होगा। इससे राज्य को कार्य करने और परिसरों का अधिग्रहण करने के लिए 11.5 वर्षों का समय मिला। इस तरह का अधिग्रहण 25 साल की अवधि समाप्त होने से पहले भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना के माध्यम से आसानी से किया जा सकता था, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5 ए में निहित मूल्यवान

अधिकार को भी संरक्षित किया जा सकता था। वास्तव में, जैसा कि डिवीजन बेंच द्वारा सही ढंग से अभिनिर्धारित किया गया था, पुनलूर पेपर मिल्स लिमिटेड पर मांग अवधि बीतने के लंबे समय बाद।

वी. पश्चिम बंगाल खनिज विकास और व्यापार निगम। लिमिटेड।

15.08.1998 , राज्य ने किसी भी तात्कालिक प्रावधान को लागू किए बिना भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की। तब यह कहना कि एकल न्यायाधीश के दिनांकित 22.06.2000 आदेश के कारण तात्कालिकता के प्रावधान को लागू किया जा सकता है, उक्त आदेश से अनुमान लगाने का प्रयास करना है, जो वास्तव में कहा गया था। इसलिए, खंड पीठ ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि सबसे अच्छा यह आदेश संभवतः अधिग्रहण कार्यवाही को संदर्भित कर सकता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत 12.08.1999 की अधिसूचना द्वारा पहले ही शुरू किया जा चुका था। किसी भी मामले में, यह आदेश भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5 ए में निहित मूल्यवान अधिकार को संरक्षित करके अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने में राज्य की सुस्ती को दूर नहीं कर सकता था, जो 25 साल की अवधि से पहले की जानी चाहिए थी, जिसका लाभ परिसर के मालिक यानी अपीलार्थी द्वारा लिया जा सकता था। [पैरा 19] [15-डी-एच; 16-ए]

2. डिवीजन बेंच के विवादित फैसले को कई फैसलों द्वारा मजबूत किया गया है। यह स्पष्ट है कि द्वारा दायर अपीलें

राज्य, अर्थात् 2020 के एस. एल. पी. (सी) No.10581-10583 से उत्पन्न दीवानी अपीलों को खारिज करना होगा। [पैरा 20,24] [16-बी, 23-एफ] 3. अपीलार्थी द्वारा दायर अपीलों पर आते हुए, उक्त अपीलें केवल एक सीमित आधार पर हैं, अर्थात्, परिसरों के अवैध कब्जे के लिए मुआवजे का आकलन जिला न्यायाधीश द्वारा पश्चिम बंगाल अनुरोध अधिनियम की धारा 11 (1) (बी) के तहत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धारा 11 (1) मांग की अवधि के दौरान मुआवजे को संदर्भित करती है और मांग की अवधि समाप्त होने के बाद भी संपत्ति राज्य के पास बिना किसी कानून के अधिकार के बनी रहती है। उपरोक्त का सरसरी पठन

प्रावधान यह स्पष्ट करेगा कि अपीलार्थी अपनी प्रस्तुति में सही है, जिसे इसलिए स्वीकार किया जाता है और खंड पीठ के विवादित निर्णय को इस हद तक दरकिनार कर दिया जाता है। एस. एल. पी. (सी) संख्या से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपीलें। 9834-9835 2020 और एसएलपी

((ग) संख्या। 9837-9838 इस प्रकार 2020 की अनुमति दी गई है। [पारस 25,26] [23 जी-एच; 24-ए, डी]

4. इन अपीलों की एक बहुत ही परेशान करने वाली विशेषता यह है कि डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल., जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य" है।

भारत का संविधान, एक भी पैसा दिए बिना 15.08.1998 के बाद से परिसरों के अवैध कब्जे में बना हुआ है।

आज तक मुआवजे के लिए। इस न्यायालय के निर्णयों के बाद, विशेष रूप से, असम सिलीमैनाइट लिमिटेड बनाम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1990) 3 एस. सी. सी. 182 और कृष्ण लाल अरनेजा, इस अदालत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की। न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय, कानून के किसी भी अधिकार के बिना परिसरों के कब्जे के लिए हर्जाने के रूप में देय मुआवजे को निर्धारित करने के लिए मध्यस्थ के रूप में। इस तरह के मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक लिखित प्राधिकरण हमें तुरंत, यानी 23.02.2021 से एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। 100 प्रति वर्ग

फुट, प्रति माह (अलीपुर न्यायाधीशों के न्यायालय के एक चार्टर्ड इंजीनियर, इंजीनियर आयुक्त और मूल्यांकनकर्ता द्वारा परिसर के अवैध कब्जे की पूरी अवधि के लिए तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 30.11.2019 के अनुसार अगस्त 1998 से एक ही भवन में अन्य किरायेदारों द्वारा भुगतान की गई किराये की राशि का औसत है।

ई-जी] 5. यदि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लिखित प्राधिकरण समय के भीतर प्राप्त हो जाता है, तो विद्वान मध्यस्थ को आगे बढ़ना होता है -

पक्षकारों द्वारा संदर्भ दर्ज करने के दो महीने की अवधि के भीतर देय अंतरिम मुआवजे का निर्धारण करने के लिए उन्हें प्रस्तुत किए गए मामले का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण। इसका कारण यह है कि डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. द्वारा परिसरों पर अवैध कब्जे के लिए पिछले 22 वर्षों से एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा,

दोनों में से किसी भी पक्ष को दो महीने की इस अवधि के भीतर मध्यस्थ के समक्ष कोई स्थगन नहीं लेना है, ताकि मध्यस्थ भुगतान किए जाने वाले अंतरिम मुआवजे का निर्णय ले सके। इस तरह के अंतरिम आदेश के बाद, विद्वान मध्यस्थ अंतिम निर्णय देने के लिए आगे बढ़ेगा। [पैरा 28] [24-एच; 25-ए-बी] 6. डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. ने परिसर खाली करने के लिए उचित समय मांगा है। हालांकि, इस तथ्य के आलोक में कि डब्ल्यूबीएमडीटीसीएल

पिछले 22 वर्षों से बिना किसी कानून के अधिकार के परिसरों के कब्जे में, हमें नहीं लगता कि इस वर्ष के अंत तक प्रार्थना के अनुसार समय देना उचित है। इस प्रकार, यह अदालत परिसर को खाली करने के लिए इस फैसले की तारीख से केवल चार महीने का समय देती है, जो जिम्मेदार अधिकारी द्वारा आवेदन दायर करने पर सशर्त है। इस न्यायालय के समक्ष वचन देते हुए कि वे चार महीने के भीतर परिसरों को खाली कर देंगे और खाली कब्जे को सौंप देंगे।

अपीलार्थी को परिसर, और यह कि अंतरिम क्षतिपूर्ति, यदि ऐसी तारीख से पहले आदेश दिया जाता है, तो इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित समय के भीतर भुगतान किया जाएगा। [पैरा 29] [25-सी-डी] पनालुर पेपर मिल्स लिमिटेड।

वी. पश्चिम बंगाल खनिज विकास और व्यापार निगम। लिमिटेड।

7. दीवानी अपीलों में @एसएलपी (सी) संख्या। 9837-9838 2020 में, हालांकि पश्चिम बंगाल चीनी उद्योग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ

विकास निगम लिमिटेड, जो परिसर सं. की पांचवीं मंजिल के एक हिस्से पर अवैध कब्जे में रहा है। 13 , नेल्ली सेनगुप्ता सरनी (लिंडसे स्ट्रीट), कलकत्ता

लगभग 1350 वर्ग फुट, वही दिशाएँ डब्ल्यू. बी. शुगर इंडस्ट्रीज पर लागू होती हैं। इस प्रकार, डब्ल्यू. बी. शुगर इंडस्ट्रीज को भी 23.02.2021 से एक सप्ताह के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए एक लिखित प्राधिकरण प्रस्तुत करना है, जिसमें विफल रहने पर वे रु. 100 इस निर्णय की तारीख से चार महीने के भीतर पांचवीं मंजिल के परिसरों पर अवैध कब्जे की पूरी अवधि के लिए प्रति वर्ग फुट, प्रति माह। इसके अलावा, डब्ल्यू. बी. शुगर इंडस्ट्रीज को पांचवीं मंजिल के परिसर को खाली करने के लिए चार महीने का समय दिया जाता है, पांचवीं मंजिल के परिसर के खाली कब्जे को खाली करने और अपीलार्थी को सौंपने के लिए एक वचन पत्र जमा करने पर, और मध्यस्थ द्वारा निर्धारित समय के भीतर अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए। इन अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। [पैरा 30,31] [25-ई जी]

भारत संघ बनाम। कृष्ण लाल अरनेजा (2004) 8 एस. सी. सी.

453 [2004] 1 पूरक। एससीआर 801-पर निर्भर।

यू. पी. राज्य बनाम केशव प्रसाद सिंह, (1995) 5 एस. सी. सी. 587 [1995] 2 पूरक। एससीआर 329; ए. पी. बनाम राज्य गोवर्धनलाल पिट्टी (2003) 4 एस. सी. सी. 739 [2003] 2

एससीआर 908-प्रतिष्ठित।

बनवारीलाल एंड संस प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ, सी. डब्ल्यू. पी.

1991 में रिपोर्ट की गई 1988 की संख्या 2385, सप्लीमेंट डी. आर. जे. 317;

भारत संघ बनाम। शकुंतला गुप्ता, (2002) 10 एस. सी. सी. 694; भारत संघ बनाम। शकुंतला गुप्ता, (2002) 7 एस. सी. सी. 98; असम सिलीमैनाइट लिमिटेड बनाम। भारत संघ, (1990) 3

एस. सी. सी 182: [1990] 1 एस. सी. आर. 983-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1995] 2 पूरक। एससीआर 329

पै

रा 14,16

प्रतिष्ठित

[2003] 2 एससीआर 908

प्रतिष्ठित

पै

रा 14,17

(2002) 10 एस. सी. सी. 694

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

(2002) 7 एससीसी 98

संदर्भित किया गया है

पैरा 21 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[20

21] 3 एस सी आर।

[2004] 1 पूरक। एससीआर 801

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

[1990] 1 एससीआर 983

पै

रा 27

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 738 -

739 2021 से।

उच्च न्यायालय के 30.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के ए. पी. ओ. 298 और ए. पी. ओ. 303 में कलकत्ता में न्यायिक कार्य।

के साथ

2021 की सिविल अपील Nos.740-741 और 742-744।

मुकुल रोहतगी, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रमेश

मेसर्स के लिए सिंह, गौतम नारायण, पंकज जैन, महेश अग्रवाल, अशोक कुमार जैन, बिजय कुमार जैन, सुहान मुखर्जी, विशाल प्रसाद, निखिल परीक्षित, अभिषेक मनचंदा। उपस्थित दलों के लिए पी. एल. आर. चैंबर्स एंड कंपनी, कुणाल वाजानी, देबंजन मंडल, जिष्णु चौधरी, संदीप दासगुप्ता, अयान कुमार डे, सुश्री माधवी खन्ना, शुभांग टंडन, कुणाल मिमानी, सुश्री लिज़ मैथ्यू।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इन अपीलों के तथ्यों में, परिसर की पूरी दूसरी मंजिल

नहीं। 13 , नेल्ली सेनगुप्ता सरनी (लिंडसे स्ट्रीट), कलकत्ता ["परिसर"], लगभग 7500 वर्ग फुट मापने वाला, पुनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड ["अपीलकर्ता"] के स्वामित्व वाला, पश्चिम बंगाल परिसर अनुरोध और नियंत्रण (अस्थायी प्रावधान) अधिनियम, 1947 ["पश्चिम बंगाल अनुरोध अधिनियम"] के तहत 16.08.1973 पर अधिग्रहित किया गया था। इस न्यायालय के कुछ निर्णयों के अनुसरण में, 31.03.1987 पर एक संशोधन के माध्यम से पश्चिम बंगाल अनुरोध अधिनियम में धारा 10B को जोड़ा गया था। द.

उक्त खंड इस प्रकार है:

" 10 बी. धारा 10 या धारा में किसी बात के होते हुए भी

10 ए, राज्य सरकार किसी भी मांग से मुक्त करेगी

इसके तहत अधिग्रहित या अधिग्रहित मानी जाने वाली संपत्ति

ऐसी मांग की तारीख: बशर्ते कि इस धारा का लाभ तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि

पनालुर पेपर मिल्स लिमिटेड के आने की तारीख से पाँच साल की अवधि समाप्त होने के बाद।

वी. पश्चिम बंगाल खनिज

विकास और व्यापार निगम। लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पश्चिम बंगाल परिसर अनुरोध और नियंत्रण (अस्थायी प्रावधान) (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1986 से प्रभावी।"

3. पश्चिम बंगाल अधिग्रहण अधिनियम की धारा 10 बी के संचालन के परिणामस्वरूप, अधिनियम के तहत अधिग्रहित किसी भी संपत्ति को

राज्य सरकार द्वारा मांग की तारीख से 25 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या उससे पहले जारी किया गया। परिसरों के लिए, यह 25 साल की अवधि 15.08.1998 पर समाप्त हुई, जिससे राज्य परिसरों को जारी करने के लिए बाध्य हो गया। यह पक्षों के बीच सामान्य आधार है कि परिसर वास्तव में जारी नहीं किया गया था और भौतिक कब्जा पश्चिम बंगाल खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड ["डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल".] के पास बना रहा।

4. ऐसी अवधि समाप्त होने के बाद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना के माध्यम से ["भूमि अधिग्रहण"]

12.08.1999 पर प्रकाशित अधिनियम "], परिसरों को डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. के स्थायी कार्यालय आवास प्रदान करने के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित करने की मांग की गई थी। 12.08.1999 की इस अधिसूचना को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 18.04.2000 पर दायर 2000 की रिट याचिका संख्या 1045 में अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई थी, जो उक्त परिसर के मालिक थे। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि 2000 की रिट याचिका संख्या 1042 भी अपीलार्थी द्वारा 17.04.2000 पर दायर की गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल अनुरोध अधिनियम की धारा 10 बी द्वारा निर्धारित 25-वर्षीय अवधि समाप्त होने के बाद से परिसरों के खाली कब्जे को सौंपने की मांग की गई थी। 5. 2000 के रिट याचिका संख्या 1042 में दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" प्रत्यर्थी नं. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री भट्टाचार्जी। 4 साथ ही राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री दत्त ने कहा कि तीन महीने का समय प्रत्यर्थी को सं. 4 विचाराधीन संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए उसके पास उपलब्ध उचित कानूनी कदम उठाने के उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विचाराधीन परिसर को खाली करना, तदनुसार ऐसा आदेश याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की सहमति से पारित किया जाता है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि [जहां तक मुआवजे का संबंध है]

उसी का निर्णय न्यायालय द्वारा रखी जाने वाली सामग्रियों पर किया जा सकता है

उनके द्वारा अलग-अलग शपथ पत्र दाखिल करके। इस तरह का हलफनामा तारीख से तीन सप्ताह के भीतर दायर किया जाए, जवाब दें, यदि कोई हो, तो

उसके बाद दो सप्ताह के भीतर मेरे सामने मामले का उल्लेख करने की स्वतंत्रता के साथ और जब मैं अकेले बैठूंगा।

माँग के आदेश के अंत तक आने के बाद जब तक कि इस आदेश के संदर्भ में उसके कब्जे का वितरण प्रभावी नहीं हो जाता है। यह आदेश सभी पक्षों की सहमति से पारित किया गया है और पक्षों की ओर से पेश वकील ने इसकी स्वीकृति में इसकी एक प्रति पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे रिकॉर्ड के साथ रखा गया है।

6. उसी दिन, 2000 की रिट याचिका संख्या 1045 में, एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" पहले से दिया गया अंतरिम आदेश विद्वान के रूप में खाली है

याचिकाकर्ता का वकील जारी रखने के लिए दबाव नहीं डालता है

अखबार का प्रकाशन देखने के बाद भी

विचाराधीन अधिसूचना। यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने निर्णय नहीं लिया है

तत्काल रिट याचिका में कोई भी मुद्दा। इस रिट याचिका के विरोध में शपथ पत्र तारीख से 3 (तीन) सप्ताह में दाखिल किया जाएगा, जवाब, यदि कोई हो, तो 2 (दो) सप्ताह के भीतर दिया जाएगा।

इसके बाद और उचित से पहले मामले का उल्लेख करने की स्वतंत्रता

बेंच।

इस निर्धारित आदेश की हस्ताक्षरित प्रति पर कार्य करने के लिए सभी पक्षकार

सामान्य उपक्रम "।

4 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, इस बार तात्कालिक प्रावधान का आह्वान करते हुए उसकी धारा 17 (4) के तहत, निम्नानुसार:

" भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम I) की धारा 17 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल ने

यह निर्देश देते हुए खुशी हो रही है कि अधिनियम की धारा 5 ए के प्रावधान

उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि पर लागू नहीं होगी, जिसके लिए राज्यपाल की राय में, उप-धारा के प्रावधान

(1) उक्त अधिनियम की धारा 17 लागू होती है "

8. भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत जल्द ही एक घोषणा

इसके बाद, 11.08.2000 पर। ये दोनों अधिसूचनाएँ अपीलार्थी द्वारा 05.09.2000 पर दायर 2000 की रिट याचिका संख्या 3003 में चुनौती का विषय बन गईं, इस आधार पर कि तात्कालिकता प्रावधान को अनुचित रूप से लागू किया गया था, और इस प्रकार कुल्लू पेपर मिल्स लिमिटेड के तहत दिनांकित 04.08.2000 की समग्र अधिसूचना।

वी. पश्चिम बंगाल खनिज

विकास और व्यापार निगम। लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित धारा 4 को अलग करना होगा।

9. कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश, एक

16.01.2017 दिनांकित आदेश ने सभी तीन रिट याचिकाओं का निपटारा किया, अर्थात्, रिट याचिका संख्या। 1042 , 1045 और 2000 का 3003। विद्वान एकल न्यायाधीश, यह देखते हुए कि तथ्यों में तात्कालिकता प्रावधान को गलत तरीके से लागू किया गया था

इस मामले में, इस न्यायालय के निर्णयों का पालन किया गया और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित धारा 4 के तहत समग्र अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। नतीजतन, उन्होंने निर्देश दिया

डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. तीन महीने के भीतर परिसर खाली करेगा और अपीलार्थी को खाली कब्जा सौंप देगा।

10. अपील पर, विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय और आदेश

दिनांक 1 को पक्षों की सहमति से अलग कर दिया गया था, और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. और प्रथम भूमि द्वारा दायर छह अलग-अलग अपीलों में रिट याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई की जानी थी। अधिग्रहण कलेक्टर। नतीजतन, कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा रिट याचिकाओं की एक नए सिरे से सुनवाई की गई, जिसने विवादित निर्णय और दिनांक 30.09.2019 का आदेश पारित किया। इसके बाद

इस मामले के तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए, डिवीजन बेंच ने अपने सामने जो प्रश्न रखे थे, वे इस प्रकार थे:

" 5. प्रतिद्वंद्वियों की दलीलें सुनने और सामग्री पर विचार करने के बाद

अभिलेख पर, हमारा विचार है कि विवादास्पद प्रश्न

तीन रिट याचिकाओं का निपटारा करते समय विचार किया गया और छह

वहाँ से उत्पन्न होने वाली अपीलें इस प्रकार हैं:

मांग की तारीख से 25 साल की समाप्ति के बाद,

ए।

क्या अपीलार्थी माँग को खाली करने के लिए उत्तरदायी थे

संपत्ति उक्त संपत्ति है?

बी।

प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता नं। 1 किसी भी अधिकार के लिए डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. पर मुआवजे की तारीख से 25 साल की समाप्ति के बाद उक्त संपत्ति में अधिक समय तक रहने पर?

तत्काल मामले के तथ्यों में, क्या उक्त प्रतिवादी कर सकते हैं

सी.

1894 के अधिनियम की धारा 17 में प्रदान की गई तात्कालिकता की स्थिति में विशेष शक्तियों को लागू करके उक्त संपत्ति का अधिग्रहण करना, विशेष रूप से जब वे सामान्य तरीके का पालन करके संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़े थे और

तथ्य पर 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत एक नोटिस दिया गया

12 अगस्त, 1999?

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी।

क्या प्रत्यर्थी को आपत्ति का अधिकार उपलब्ध हो सकता है / रिट याचिकाकर्ता सं। 1 तथ्यों में दूर ले जाया जाए और

मामले की परिस्थितियाँ? "

11. डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया किः

" 6. हम दोनों मुद्दों को एक साथ उठाते हैं क्योंकि वे आपस में जुड़े हुए हैं।

तत्काल मामला। 25 तारीख के पत्रों का एक संयुक्त पठन डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. द्वारा जारी मार्च, 1997 और 23 सितंबर, 1997

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा जारी, यह प्रतीत होगा कि दोनों

राज्य और डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. इस तथ्य से अवगत थे कि

माँग की तारीख से 25 वर्ष पूरे होने पर,

अधिग्रहित संपत्ति को अधिग्रहण से मुक्त करना पड़ा और इसे खाली करना पड़ा। उक्त अधिनियम की धारा 10 बी के प्रावधान भी ऐसा कहते हैं और इस प्रकार, 23 सितंबर, 1997 के पत्र में,

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने विशेष रूप से संकेत दिया था कि

आवश्यक निकाय को 25 के पूरा होने के बाद कब्जा खाली करना पड़ता है माँग के वर्ष। इस तरह के विशिष्ट ज्ञान के बावजूद, डब्ल्यूबीएमडीटीसीएल

15 अगस्त, 1998 की समाप्ति पर उक्त संपत्ति को खाली नहीं किया। उक्त राज्य/उत्तरदाता जिन्होंने संपत्ति की मांग की थी

उक्त संपत्ति को जारी करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया

माँग और अधिकार के मालिक को वापस कर दिया जाए

एक ही।

ऐसा भी प्रतीत होता है कि डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. उक्त लाभ उठा रहा है।

इसके बाद के लिए किसी भी पैसे का भुगतान किए बिना संपत्ति 25 वर्षों की समाप्ति "।

12. एकल न्यायाधीश के दिनांकित 22.06.2000 के आदेश का उल्लेख करते हुए, आईविजन बेंच ने आगे कहा:

" यह आगे प्रतीत होता है कि 22 जून, 2000 को के निमंत्रण पर

राज्य/उत्तरदाताओं और डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. ने एक आदेश पारित किया

याचिकाकर्ता की सहमति से उक्त संपत्ति को खाली करने के लिए तीन महीने का समय। यह भी प्रतीत होगा कि मुआवजा दिया जाना है

डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. द्वारा (उक्त रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 4)

इस तरह के मुआवजे की राशि निर्धारित करने का उद्देश्य। हलफनामे आमंत्रित किए गए थे और उक्त आदेश दिनांकित पनालुर पेपर मिल्स लिमिटेड के सरगम से।

वी. पश्चिम बंगाल खनिज

विकास और व्यापार निगम। लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

22 जून, 2000 में, यह स्पष्ट है कि मुआवजे का निर्धारण करने के उद्देश्य से भी शपथ पत्र मांगे गए थे। उक्त आदेश से यह भी प्रतीत होगा कि उक्त संपत्ति को खाली करने का आदेश राज्य के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना था

विचाराधीन संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उसके पास उपलब्ध उचित कानूनी कदम। उस समय जब उक्त आदेश दिनांक 22 जून, 2000 था

धारा 4 की अधिसूचना और धारा 5ए के प्रावधानों के तहत आपत्ति पहले से ही रिकॉर्ड में थी। न्यायालय इस बारे में सचेत था। उसके आदेश की व्याख्या की जानी चाहिए कि उक्त संपत्ति को आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर खाली किया जाना था और साथ ही, अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने के लिए राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं था। 22 जून, 2000 के आदेश की इस तरह की व्याख्या के पक्ष में विचार एक अन्य आदेश से और अधिक प्रोत्साहित होता है, जो उसी दिन 2000 के डब्ल्यू. पी. No.1045 में भी पारित किया गया था, जब अदालत ने सुनवाई पर रोक लगाने के लिए पहले पारित अंतरिम आदेश को खाली कर दिया था।

प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति सं। 1 1894 के अधिनियम की धारा 5ए के प्रावधानों के संदर्भ में। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अदालत ने दोनों आदेशों को पारित करते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि डब्ल्यूबीएमडीटीसीएल को परिसर खाली करना पड़ा था

22 जून, 2000 से तीन महीने के भीतर और साथ ही, राज्य प्राधिकरण अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र थे। 1894 अधिनियम की धारा 5ए के प्रावधानों के तहत प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति को सुनने के बाद 12 अगस्त, 1999 को धारा 4 के नोटिस के प्रकाशन द्वारा शुरू की गई कार्यवाही।

13. इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, पीठ ने निष्कर्ष निकाला:

अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई न्यायिक समीक्षा के दायरे का प्रश्न। तत्काल मामले में, संपत्ति की मांग वर्ष 1973 में 25 साल की अवधि की समाप्ति से कुछ महीने पहले तक की गई थी। संपत्ति के पुनः अधिग्रहण के लिए अनुरोध किया गया था। ऊपर चर्चा किए गए ऐसे अनुरोध को प्राप्त करते हुए, राज्य/उत्तरदाताओं ने एक दृढ़ विचार दिया कि संपत्ति को 25 साल की अवधि समाप्त होने पर खाली किया जाना चाहिए और इसे फिर से अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, राज्य ने यह विचार व्यक्त किया कि यदि इस आशय का अनुरोध किया जाता है तो संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। राज्य/उत्तरदाता, इसके बाद, [2021] 3 एस. सी. आर. का आह्वान किए बिना संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़े।

17 (1) उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) के साथ पढ़ें। अतः यह स्पष्ट है कि प्रासंगिक बिंदु पर, सरकार ने इस बारे में कोई राय नहीं बनाईः तात्कालिकता खंड का आह्वान। इसलिए, सरकार का विचार था कि अधिग्रहण की कार्यवाही 1894 अधिनियम की धारा 5 ए के तहत जांच पूरी करने के लिए कुछ महीनों तक इंतजार कर सकती है। यह धारा 4 के तहत नोटिस जारी करने और 1894 अधिनियम की धारा 5 ए के तहत आपत्तियां आमंत्रित करने पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भी स्पष्ट है। 1986 में धारा 10 बी की शुरूआत के साथ किए गए 1947 के उक्त अधिनियम में संशोधन के बाद, डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. को यह ज्ञात था कि यह आवश्यक निकाय है और सरकार को भी पता था कि 25 साल की समाप्ति पर संपत्ति को अधिग्रहण से मुक्त किया जाना था। भले ही हम इस बात पर विचार करें कि 25 वर्षों के बाद संपत्ति को जारी करने के लिए पांच साल का अंतराल उक्त अधिनियम के तहत उपलब्ध था जो हमें वर्ष 1991 तक ले जाता है। 1991 और 1998 के बीच पर्याप्त समय था जब 25 साल सामान्य प्रक्रिया में संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए एक जांच करने के लिए समाप्त हो गए थे कि क्या डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. या सरकार उक्त संपत्ति पर डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. के पंजीकृत कार्यालय को बनाए रखने या उक्त संपत्ति को बनाए रखने के लिए प्रदान करने के लिए इतनी उत्सुक थी।

डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. का पंजीकृत कार्यालय। इन सभी वर्षों में संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। अधिग्रहण की प्रक्रिया भी सामान्य तरीके से 10/12 अगस्त, 1999 को शुरू की गई थी। इस तरह की अधिसूचना के अनुसार, धारा 5 के तहत आपत्ति आमंत्रित की गई थी और इसे प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता नं। 1 . उस समय के दौरान जब 1894 के अधिनियम की धारा 5 ए की आपत्ति की सुनवाई लंबित रखी गई थी, तो प्रत्यर्थियों/रिट याचिकाकर्ताओं ने दो रिट याचिकाएं दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 1042 और अप्रैल, 2000 के महीने में 2000 का 1045। इसलिए धारा 4 के तहत अधिसूचना को चुनौती अधिसूचना के प्रकाशन से उचित समय अवधि के भीतर दी गई थी। उस भौतिक बिंदु पर तथ्य स्थिति स्पष्ट रूप से

यह स्थापित किया कि सरकार के दिमाग में तात्कालिकता का कोई मामला नहीं था। 22 जून, 2000 के आदेश के बाद ही राज्य/उत्तरदाताओं के निमंत्रण पर प्राप्त किया गया था और डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल., उक्त परिसर को खाली करने के लिए तीन महीने की अवधि का उपयोग 1894 अधिनियम की धारा 5 ए के तहत जांच को समाप्त करने के लिए तात्कालिकता की असाधारण शक्तियों का उपयोग करने के लिए किया गया था।"

" 15. तत्काल मामले के तथ्य भी ऐसे नहीं हैं कि अधिग्रहण कुछ हफ्तों या महीनों तक भी देरी को रोक नहीं सका। इसके अलावा और किसी भी स्थिति में, 22 जून, 2000 के आदेश का उपयोग तात्कालिकता खंड को लागू करने के लिए एक तथ्य स्थिति के रूप में करना दुर्भावनापूर्ण है और इस तरह, दूषित है। इसलिए, हम 1894 के अधिनियम की धारा 17 (4) के साथ पठित धारा 17 (1) के प्रावधानों को लागू करते हुए अधिग्रहण के आदेश को दरकिनार कर देते हैं। यह घोषित किया जाता है कि धारा 4 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जिसे लागू करके रद्द कर दिया गया था

धारा 17 (1) के प्रावधान समय के प्रवाह से समाप्त हो गए थे क्योंकि एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई धारा 6 घोषणा का पालन नहीं किया गया था। यह

हालाँकि, सरकार को शुरू करने से नहीं रोकेगी

अधिग्रहण कार्यवाही नए सिरे से, यदि कानून में हकदार है। उक्त संपत्ति का कब्जा खाली किया जाना चाहिए और उसका कब्जा तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रत्यर्थियों/रिट याचिकाकर्ताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। ये दिशाएँ आकस्मिक हैं। 16. कलकत्ता के सिटी सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 16 अगस्त, 1998 की अवधि के लिए मुआवजे/किराए/व्यावसायिक शुल्क का भी आकलन करेंगे, जब तक कि उक्त संपत्ति का कब्जा प्रत्यर्थियों/रिट याचिकाकर्ताओं को नहीं सौंप दिया जाता है। धारा 11 (1) (बी)

1947 अधिनियम में भी ऐसा ही प्रावधान है।

17. रिट याचिकाएँ डब्ल्यू. पी. संख्या हैं। 1042 , 1045 & 3003 2000 का निपटारा ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में किया गया है।

14. पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री लिज़ मैथ्यू ने डिवीजन के विवादित फैसले पर हमला किया

पीठ ने यह तर्क देते हुए कि एकल न्यायाधीश के दिनांक 22.06.2000 के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य इसे शुरू करने के लिए उचित कदम उठा सकता है

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही, जो तब 04.08.2000 पर इस तरह के आदेश के अनुसार की गई थी। इस आदेश के तहत शरण लेते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित धारा 4 के तहत अधिसूचना को रद्द करना संभव नहीं होगा, क्योंकि यह दिनांक 22.06.2000 के आदेश के अनुसार किया गया था। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने यू. पी. बनाम राज्य में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। केशव प्रसाद सिंह, (1995) 5 एस. सी. सी. 587 और ए. पी. राज्य बनाम। गोवर्धनलाल पिट्टी (2003) 4 एस. सी. सी. 739।

15. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने इन तर्कों का दृढ़ता से खंडन किया और उन पर भरोसा किया इस न्यायालय के कुछ निर्णय जिनमें अपीलार्थी के [2021] 3 एस. सी. आर. में इस मुद्दे को शामिल किया गया है।

अनुग्रह करें। किसी भी मामले में, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 15.08.1998 द्वारा परिसर को खाली नहीं करने और जारी रखने में पक्षों के आचरण को देखते हुए आज तक अनधिकृत कब्जे के साथ-साथ मुआवजे के लिए एक पैसा भी नहीं देने के कारण, इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत राज्य की अपीलों पर विचार नहीं करना चाहिए।

16. सुश्री लिज़ मैथ्यू द्वारा भरोसा किए गए इस न्यायालय के निर्णय इस मामले के तथ्यों से अलग हैं। यू. पी. राज्य बनाम केशव प्रसाद सिंह, (1995) 5 एस. सी. सी. 587, इस न्यायालय ने तात्कालिकता के एक विशिष्ट मामले पर विचार किया, अर्थात्, एक दीवानी न्यायालय द्वारा जारी एक अनिवार्य निषेधाज्ञा

एक परिसर की दीवार को ध्वस्त करना और अधिकार को पुनर्स्थापित करना। इस प्रकार, इस न्यायालय को यह कहने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि मामले में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी, जो इस प्रकार है:

" 5. अगला सवाल यह है कि क्या सरकार धारा 17 (4) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने और अधिनियम की धारा 5-ए के तहत जांच को समाप्त करने में उचित होगी। दीवानी अदालत द्वारा परिसर की दीवार को ध्वस्त करने और प्रतिवादी को कब्जा सौंपने के लिए जारी किए गए अनिवार्य निषेधाज्ञा का पालन करना पड़ा। इस प्रकार तात्कालिकता है। सार्वजनिक उद्देश्य स्पष्ट था क्योंकि कार्यालय की सुरक्षा के लिए परिसर को बनाए रखने की आवश्यकता थी। धारा 5-एक जांच का उद्देश्य यह दिखाना था कि क्या कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं था या भूमि उपयुक्त नहीं थी या कुछ अन्य भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। ये सभी प्रासंगिक और संबंधित तथ्य हैं - मामले के तथ्यों के कारण अनावश्यक "।

17. इसी तरह, ए. पी. बनाम राज्य में। गोवर्धनलाल पिट्टी, (2003) 4 एस. सी. सी. 739, मामले के तथ्यों पर, इस न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय संपत्ति के अधिग्रहण को रद्द नहीं कर सकता था। दुर्भावना के आधार पर केवल इसलिए कि राज्य बेदखली की कार्यवाही में हार गया था और अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की थी

एक जीर्ण-शीर्ण 100 साल पुरानी विद्यालय की इमारत को खाली करने का वचन। अतः इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 17. आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कार्रवाई की

राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण केवल कानून में दुर्भावनापूर्ण के रूप में

क्योंकि अदालत द्वारा इसके खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले, 1954 से अपने कब्जे वाली इमारत के अधिग्रहण के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। हमारी राय में, भले ही ऐसी

स्थिति हो कि स्कूल भवन के किरायेदार के रूप में राज्य ने कोई कदम नहीं उठाया बेदखली के आदेश और उच्च न्यायालय के निर्देश से पहले भूमि का अधिग्रहण, यह नहीं माना जा सकता है कि जब उसने पुनलूर पेपर मिल्स लिमिटेड का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया था।

वी. पश्चिम बंगाल खनिज

विकास और व्यापार निगम। लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भवन, कोई वास्तविक सार्वजनिक उद्देश्य मौजूद नहीं था। यदि केवल संपत्ति का कब्जा किरायेदार के रूप में रखा जा सकता था, तो संपत्ति का अधिग्रहण करना अनावश्यक था। बेदखली के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा जारी खाली करने का निर्देश केवल प्रदान करता है

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण का सहारा लेने के लिए न्यायसंगत, उचित और निकटवर्ती कारण। इसलिए, एक ऐसे स्तर पर अधिग्रहण का सहारा लें जब एक वास्तविक सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था जिसे पूरा किया जा रहा था।

1954 वैधानिक शक्ति के अधिक उचित और न्यायपूर्ण प्रयोग को दर्शाता है। शक्ति के इस तरह के प्रयोग की निंदा नहीं की जा सकती क्योंकि यह किया गया है।

इसके रंगीन या दुर्भावनापूर्ण अभ्यास में।

18. यह निर्णय पूरी तरह से इस कारण से भी अलग है कि भूमि अधिग्रहण की धारा 17 में तात्कालिकता का प्रावधान है।

अधिनियम लागू नहीं किया गया था, यह माना जा रहा था कि एक स्कूल के जारी रहने से एक वास्तविक सार्वजनिक उद्देश्य पूरा होता है, जो सार्वजनिक उद्देश्य अचानक नहीं हो सकता था। गैर-अस्तित्व में माना जाता है, केवल इसलिए कि राज्य बेदखली की कार्यवाही में हार गया था।

19. इस मामले के तथ्यों पर, खंड पीठ का विवादित निर्णय कानूनी रूप से सही है। इस मामले में, राज्य को नोटिस दिया गया था 31.03.1987 , अर्थात्, पश्चिम बंगाल अधिग्रहण अधिनियम में धारा 10 बी को शामिल करने की तारीख से, परिसरों को जारी करना होगा

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत 12.08.1999 की अधिसूचना। किसी भी मामले में, यह आदेश अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने में राज्य की सुस्ती को दूर नहीं कर सकता था, जो कि 25 साल की अवधि से पहले की जानी चाहिए थी, मूल्यवान अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को संरक्षित करके।

[20

21] 3 एस सी आर।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5 ए में निहित है, जिसका लाभ परिसर के मालिक यानी अपीलार्थी द्वारा उठाया जा सकता था।

20. डिवीजन बेंच के विवादित फैसले को मजबूत किया गया है

कई निर्णय। बनवारीलाल एंड संस प्रा. लि. लिमिटेड वी. भारत संघ, 1988 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2385 1991 में रिपोर्ट किया गया पूरक डी. आर. जे. 317

[" दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ, बनवारीलाल (दिल्ली उच्च न्यायालय) ने दिनांक 1 के एक आदेश के माध्यम से, अचल संपत्ति अधिनियम, 1952 के अधिग्रहण और अधिग्रहण में निहित इसी तरह के प्रावधान के संदर्भ में इसी तरह की अधिसूचना को रद्द कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा:

कहा गया है कि संपत्ति की आवश्यकता "आवासीय उपयोग" के लिए थी सरकारी कर्मचारी "। वहाँ क्या था की एक फुसफुसाहट नहीं है

तत्काल कब्जा लेने और अधिकार से इनकार करने की तात्कालिकता अधिनियम की धारा 5-ए के तहत मालिक को [आपत्तियां] उठाना।

वर्तमान मामले में धारा 4 और 17 (1) के तहत अधिसूचना,

इसलिए, आवश्यकता का पालन न करने के लिए दोषी ठहराया जाता है।

अधिसूचना में ही तात्कालिकता का उल्लेख करना। इससे अधिक और क्या है?

यह तथ्य आपत्तिजनक है कि इमारत पहले से ही कब्जे में थी

दिल्ली प्रशासन और प्रशासन के अधिकारियों को पता था

कि अचल संपत्तियों का अधिग्रहण और अधिग्रहण

10.3.1987 पर अधिनियम समाप्त होना था। इस प्रकार, उनके पास पर्याप्त समय था

उनके अधिकारियों के निवास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें

और प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई तात्कालिकता नहीं थी

धारा 17 (1)। धारा 17 (1) के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

प्रशासन की शिथिलता या सुस्ती को छिपाने के लिए

वैकल्पिक उपलब्ध कराने के लिए समय पर उचित कदम

इसके अधिकारियों के लिए आवास "।

(पृष्ठ 320)

" 13. असम में सिलिमानिता लिमिटेड बनाम। भारत संघ (ए. आई. आर. 1990)

एस. सी. 1417) उच्चतम न्यायालय ने एक मध्यस्थ नियुक्त किया था

गैरकानूनी समाप्ति के मामले में नुकसान का निर्धारण करना

लीज पर दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तीन साल से अधिक

संपत्ति अधिनियम समाप्त हो गया है, यह अधिक न्यायसंगत और उचित होगा कि वर्तमान मामले में एक मध्यस्थ को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया जाता है

पनालुर पेपर मिल्स लिमिटेड बनाने के बजाय दिल्ली प्रशासन द्वारा देय नुकसान।

वी. पश्चिम बंगाल खनिज

विकास और व्यापार निगम। लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

याचिकाकर्ता उस उद्देश्य के लिए दीवानी न्यायालय जाते हैं। हम नियुक्त करते हैं। श्री टी. वी. आर. टाटाचारी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय

एक मध्यस्थ जो चार सप्ताह के भीतर संदर्भ में प्रवेश करेगा

नुकसान का आकलन, यदि वे चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं के रूप में साथ ही दिल्ली प्रशासन रुपये की राशि का भुगतान करेगा। 10,000 /

प्रत्येक मध्यस्थ को उसकी फीस के लिए प्रारंभिक भुगतान के रूप में। ए.

इस आदेश की प्रति विद्वान मध्यस्थ को भेजी जाए

रजिस्ट्री "।

(पृष्ठ 321-322)

21. दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले ने इस ओर रुख किया

टी, भारत संघ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका21.03.1991 पर जारी किया गया। अन्य ऑफ-शूट कार्यवाहियों में भी भारत बनाम. शकुंतला गुप्ता, (2002) 10 एस. सी. सी. 694, बनवारीलाल (दिल्ली उच्च न्यायालय) (ऊपर) में पद की फिर से पुष्टि की गई।

. 2000 . उपरोक्त आदेश के खिलाफ समीक्षा का भी वही परिणाम हुआ

निऑन ऑफ इंडिया बनाम शकुंतला गुप्ता (2002) 7 एस. सी. सी. 98, जिसमें

अदालत ने 27.08.2002 पर गुण-दोष के आधार पर समीक्षा को खारिज करते हुए कहाः

" 15. किसी भी स्थिति में 14-11-2000 दिनांकित आदेश कानूनी रूप से नहीं था। गलत है। धारा 4 के तहत अधिसूचना एक समग्र अधिसूचना थी।

उपराज्यपाल की "राय" कि धारा के प्रावधान

17 (1) अधिनियम के लागू थे, जैसा कि अंतिम पैराग्राफ में व्यक्त किया गया था

आक्षेपित अधिसूचना का, सामान्य रूप से 14 से संबंधित था

अधिसूचना में निर्दिष्ट गुण। विवादित अधिसूचना

बनवारी लाल मामले में खारिज कर दिया गया था [बनवारी लाल एंड संस (पी)]

लिमिटेड वी. भारत संघ, डी. आर. जे. 1991 सप्लीमेंट 317] अन्य बातों के साथ

इस आधार पर कि उपराज्यपाल की "राय" जैसा कि में व्यक्त की गई है आह्वान करने के उद्देश्य से अधिसूचना अपर्याप्त थी

अधिनियम की धारा 17 (1) के प्रावधान। यह मैदान अनोखा नहीं था।

बनवारी लाल मामले में परिसर में [बनवारी लाल एंड संस (पी)]

लिमिटेड वी. भारत संघ, डी. आर. जे. 1991 सप्लीमेंट 317] लेकिन सभी के लिए सामान्य

चौदह संपत्तियाँ। तात्कालिकता को व्यक्त करने की मांग की गई

आक्षेपित अधिसूचना के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है

इस मामले में धारा 17 (1) के उद्देश्य जब यह पहले से ही किया जा चुका है बनवारी लाल मामले में बुरा माना गया। [अभय [2021] 3 एस. सी. आर. में टिप्पणियाँ देखें।

राम वी. भारत संघ, (1997) 5 एस. सी. सी. 421 (पैरा 11); दिल्ली प्रशासन। वी. गुरदीप सिंह उबन, (2000) 7 एस. सी. सी. 296 (पैरा 53-55)] तात्कालिकता की अभिव्यक्ति क्यूरेट के अंडे की तरह आंशिक रूप से अच्छी और आंशिक रूप से खराब नहीं हो सकती है। यह होना चाहिए कि अधिग्रहण में

प्रतिवादी के परिसर का सम्मान जैसा कि उल्लेख किया गया है

अधिसूचना जो इसके आधार पर प्राप्त करने की मांग की गई थी "तात्कालिकता" की ऐसी अमान्य अभिव्यक्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है।

22. इन निर्णयों का तब भारत संघ बनाम में पालन किया गया था।

हन लाल अरनेजा (2004) 8 एस. सी. सी. 453 ["कृष्ण लाल अरनेजा"]। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करते हुए, यह

टी आयोजितः

" 16. धारा 17 अधिकारियों को असाधारण शक्तियां प्रदान करती है जिसके तहत वे अधिनियम की धारा 5-ए के तहत निर्धारित सामान्य प्रक्रिया को तात्कालिकता के असाधारण मामले में समाप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर सरकार को तत्काल कब्जा करने में सक्षम बनाने के लिए वास्तविक तात्कालिकता के मामले को छोड़कर ऐसी शक्तियों का हल्के में सहारा नहीं लिया जा सकता है। एक सार्वजनिक उद्देश्य, चाहे वह कितना भी प्रशंसनीय हो, इस असाधारण शक्ति का उपयोग करने के लिए धारा 17 की सहायता लेना अपने आप में पर्याप्त नहीं है क्योंकि इस तरह की शक्ति का उपयोग भूमि मालिक को अचल संपत्ति के संबंध में उसके अधिकार से वंचित करता है।

प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए आपत्तियां दर्ज करना और यह अधिनियम की धारा 5-ए के तहत जांच को भी समाप्त करता है। प्राधिकरण को सार्वजनिक उद्देश्य की प्रकृति, वास्तविक तात्कालिकता जो स्थिति की मांग करती है और समय कारक यानी धारा 17 के तहत तात्कालिकता खंड को लागू करने की आवश्यकता के बारे में व्यक्तिपरक संतुष्टि होनी चाहिए।

क्या संपत्ति का कब्जा लेने के लिए न्यूनतम अवधि के लिए प्रतीक्षा की जा सकती है जिसके भीतर आपत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं

भूमि मालिकों और अधिनियम की धारा 5-ए के तहत जांच हो सकती है

पूरा किया। दूसरे शब्दों में, यदि धारा 17 के तहत शक्ति नहीं है प्रयोग किया गया, उसी उद्देश्य के लिए जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है

तत्काल निराश या पराजित हो जाएगा। आम तौर पर तात्कालिकता

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण अचानक नहीं होता है या

रातोंरात लेकिन कभी-कभी ऐसी तात्कालिकता अप्रत्याशित रूप से, असाधारण रूप से या असाधारण रूप से स्थितियों के आधार पर उत्पन्न हो सकती है जैसे कि

भूकंप, बाढ़ या किसी विशिष्ट समयबद्ध परियोजना के कारण जहां देरी से उद्देश्य निरर्थक या निष्फल होने की संभावना है। एक नागरिक की संपत्ति कानून के अनुसार अर्जित की जा सकती है लेकिन

वास्तविक और वास्तविक तात्कालिकता के अभाव में, यह पैनलोर पेपर मिल्स लिमिटेड नहीं हो सकता है।

वी. पश्चिम बंगाल खनिज

विकास और व्यापार निगम। लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधिग्रहण प्राधिकरण। तात्कालिकता खंड को लागू करते समय, राज्य को वास्तव में उचित सावधानी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। आह्वान करना। तात्कालिकता खंड राज्य प्रशासन की ओर से लापरवाही, सुस्ती या देखभाल की कमी का विकल्प या समर्थन नहीं हो सकता है।

XXX XXX XXX

21. एक और पहलू जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा, कि विचाराधीन संपत्तियां अपीलार्थियों के कब्जे में बनी रहीं; दूसरे शब्दों में, लेने की कोई तात्कालिकता नहीं थी।

तत्काल कब्जा और न ही उन्हें संपत्तियों से बेदखल करने का कोई तत्काल खतरा था। अधिक से अधिक, 10-3-1987 पर अधिग्रहण अधिनियम के समाप्त होने के बाद, संपत्तियों पर उनका कब्जा अनधिकृत होता, शायद जब तक वे संपत्तियों के अनधिकृत कब्जे में बने रहे, वे

कुछ महीनों के लिए अपने कब्जे के लिए हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, जिस अवधि के दौरान वे अधिग्रहण पूरा कर सकते थे प्रावधानों का सहारा लिए बिना सामान्य पाठ्यक्रम में कार्यवाही

अधिनियम की धारा 17 (1) और (4)। सुनवाई के दौरान, हमने विशेष रूप से इस संबंध में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील से पूछा, इसका एकमात्र उत्तर यह था कि अपीलकर्ता भारत संघ और अन्य लोग संपत्तियों के अनधिकृत कब्जे में नहीं रहना चाहते थे। हम इस उत्तर से आश्वस्त नहीं हैं ताकि संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए तात्कालिकता खंड को लागू करने को उचित ठहराया जा सके। इन अपीलों में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी अधिग्रहण पूरा कर सकते थे

धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दर्ज करने और जांच करने का अवसर प्रदान करने के बाद भी कुछ महीनों में कार्यवाही अगर वे वास्तव में गंभीर थे तो कार्रवाई करें।

22. 1985 के अधिनियम 20 के उद्देश्यों और कारणों में यह कहा गया है कि 1970 में अधिनियम के संशोधन से पहले जिन सभी संपत्तियों की मांग की गई थी, उन्हें मांग से मुक्त करने या अधिग्रहित करने की आवश्यकता थी; हालाँकि सरकार मांग की गई संपत्तियों के अधिग्रहण या अधिग्रहण से मुक्त करने की नीति को तेजी से लागू कर रही है, लेकिन उनमें से कई की सरकार को जनता के लिए आवश्यकता होगी।

उद्देश्य; रक्षा मंत्रालय दोनों के लिए कार्रवाई कर रहा है

अधिग्रहित संपत्तियों को जारी करना या प्राप्त करना।

इसलिए, उस अधिकतम अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया जिसके लिए संपत्तियों को दो साल की अवधि के लिए अनुरोध के तहत रखा जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिकारियों को पता था कि

संपत्तियों को जारी या अधिग्रहित किया जाना था और इस उद्देश्य के लिए अधिकतम अवधि दो साल तक बढ़ा दी गई थी। 1985 से 1987 तक उनके पास सामान्य रूप से विचाराधीन संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए पर्याप्त समय था। उनके पास अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दर्ज करने और जांच करने का अवसर प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय था। अधिनियम की धारा 17 को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऊपर निकाले गए कार्यालय ज्ञापन से पता चलता है कि कार्यकारी परिषद ने अचल संपत्ति अधिग्रहण और अधिग्रहण अधिनियम, 1952 में संशोधन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि सभी अधिग्रहित/पट्टे पर दिए गए घर जो 10 साल से अधिक समय से प्रशासन के पास थे, उन्हें तुरंत उनके मालिकों को जारी किया जाना था और अधिग्रहित/पट्टे पर दिए गए घरों के सभी अधिभोगियों से अनुरोध किया गया था कि वे 16-7-1979 द्वारा प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें, जिसमें विफल रहने पर संबंधित अधिकारी बिना किसी प्रावधान के अधिग्रहित घर से बेदखल करने के लिए उत्तरदायी होगा।

वैकल्पिक आवास। यहाँ फिर से, यह स्पष्ट है कि अधिकारियों को वर्ष 1979 में स्थिति के बारे में पता था

स्वयं। इसके अलावा, सचिव (पीडब्ल्यूडी/एलएंडडी), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के कमरे में 8-4-1985 पर आयोजित बैठक के कार्यवृत्त से पता चलता है कि 1952 के अधिनियम के तहत दिल्ली में सभी अधिग्रहित संपत्तियों के संबंध में स्थिति की समीक्षा की गई थी। उक्त बैठक में निम्नलिखित लोगों ने भाग लिया: (1) सचिव (पीडब्ल्यूडी/एलएंडडी), (2) संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), (3) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (पंजीकरण) और अवर सचिव (एलए)। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1970 से पहले के सभी आवासीय भवन, जो आंशिक रूप से अधिग्रहित किए गए थे और दिल्ली प्रशासन के पूर्ण कब्जे में नहीं थे, उन्हें चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहित किया जाना चाहिए।

XXX XXX XXX

27. इस प्रकार, 1985 के अधिनियम 20 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण, संबंधित मंत्री द्वारा लोकसभा को दिए गए बयान, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन और बैठक के कार्यवृत्त से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं को पूरी तरह से पता था कि उन्हें दो साल की अवधि के भीतर या तो संपत्तियों के अधिग्रहण की व्यवस्था करनी थी या वैकल्पिक व्यवस्था करके उनका अधिग्रहण रद्द करना था।

वी. पश्चिम बंगाल खनिज विकास और व्यापार निगम। लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

10-3-1987 के लिए क्योंकि अनुरोध का आगे कोई विस्तार नहीं है

कार्रवाई संभव थी। वोरा [(1984) 2 एस. सी. सी. 337 के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुएः (1984) 2 एस. सी. आर. 693], अपीलार्थियों के लिए अधिग्रहण अधिनियम के तहत विचाराधीन संपत्तियों को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं होता। यदि अपीलकर्ता वास्तव में विचाराधीन संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए गंभीर थे, तो उनके पास उन्हें प्राप्त करने या उन्हें अधिग्रहण से हटाने का निर्णय लेने के बाद भी लगभग 2 साल का समय था, जिसके भीतर अधिग्रहण की कार्यवाही सामान्य रूप से पूरी की जा सकती थी, प्रत्यर्थियों को अधिग्रहण के लिए आपत्तियां दर्ज करने के उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित किए बिना और अधिनियम की धारा 5-ए के तहत जांच किए बिना।

XXX XXX XXX

29. तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि तात्कालिकता खंड का आह्वान बिना किसी औचित्य के था और जैसा कि बनवारी लाल [बनवारी लाल एंड संस (पी) लिमिटेड बनाम में माना गया था, वह असमर्थनीय था। भारत संघ, डी. आर. जे. 1991 सप्लीमेंट 317 (डेल एच. सी.) [एड। : उच्च न्यायालय के इस आदेश की पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी को खारिज करते हुए की थी

(1991 का सं. 4458) भारत संघ बनाम। बनवारीलाल एंड संस (पी) लिमिटेड ने अपने आदेश दिनांक 21-3-1991 द्वारा नीचे पैरा 5 में उद्धृत किया है। नीचे पैरा 11 भी देखें। (2004) 5 एस. सी. सी. 304 पर संबंधित मामला देखें।]] और शकुंतला गुप्ता [भारत संघ बनाम। शकुंतला गुप्ता (2002) 7 एस. सी. सी. 98 [एड। : (2002) 10 एस. सी. सी. 694 पर रिपोर्ट किया गया पिछला आदेश भी देखें।]] . पंजाब राज्य बनाम में यह न्यायालय। गुरदियाल सिंह [(1980) 2 एस. सी. सी. 471] ने अधिनियम की धारा 17 के तहत आपातकालीन शक्ति के उपयोग के बारे में कहा है किः (एस. सी. सी पी. 477, पैरा 16)

" [यह बुनियादी बात है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को अनिवार्य रूप से लेना एक गंभीर मामला है और आदमी जितना छोटा होगा मामला उतना ही गंभीर होगा। उसे वंचित करने से पहले उसकी बात सुनना दोनों ही उचित हैं।

और मनमानेपन का पूर्व-खालीपन, और इससे इनकार

प्रशासनिक निष्पक्षता अच्छे कारणों को छोड़कर संवैधानिक अभिशाप है। वास्तविक तात्कालिकता को छोड़कर जहां जनहित सुनवाई के लिए आवश्यक न्यूनतम समय को भी बाधित नहीं करता है, भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को अनुच्छेद 14 (और 19) को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 17 के तहत जांच नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक नींद की प्रक्रिया, वर्षों से लंबित है और अचानक [2021] 3 एस. सी. आर.

तत्काल जबरन लेने में खुद को उत्तेजित करना, एक उपहास बनाता है आपातकालीन शक्ति "।

30. ओम प्रकाश बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(1998) 6 एस. सी. सी. 1]

पंजाब राज्य बनाम। गुरदियाल सिंह [(1980) 2 एस. सी. सी. 471]

न्यायालय ने पैरा 21 में कहा है कि: (एससीसी पीपी। 23-24)

" [ए] इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार, धारा 5-ए के तहत जांच केवल वैधानिक नहीं है, बल्कि इसका एक स्वाद भी है।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों का

संविधान के पास हालांकि अब संपत्ति का अधिकार नहीं है

एक मौलिक अधिकार बना रहा, कम से कम अवलोकन के बारे में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5-ए के साथ अनुच्छेद 14 लागू रहेगा।

वर्तमान अपीलों में, अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष कोई वास्तविक व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं दिखा पाए हैं

राज्य के लिए उपलब्ध किसी भी प्रासंगिक सामग्री के आधार पर

उस समय के अधिकारी जब उन्होंने अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत विवादित अधिसूचना जारी की थी और अधिनियम की धारा 17 (4) की सहायता लेते हुए धारा 5-ए जांच को समाप्त कर दिया था। तीन की एक बेंच

नारायण गोविंद गावटे बनाम में इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश। महाराष्ट्र राज्य [(1977) 1 एस. सी. सी 133: 1977 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 49] ने व्यक्त किया है कि धारा 17 (4) को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है

अधिनियम की धारा 4 (1) और 5-ए ने व्यक्त किया है कि

सार्वजनिक उद्देश्य को चुनौती देने वाले भूमि मालिकों को आम तौर पर अधिनियम की धारा 5-ए के तहत पूछताछ को बहुत तेजी से पूरा करने में बहुत कम कठिनाई होगी। उसी फैसले में यह भी कहा गया है कि वह: (एस. सी. सी पी. 148, पैरा 38)

" संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी के दिमाग को इस सवाल पर लागू किया जाना चाहिए कि क्या ऐसी प्रकृति की तात्कालिकता है कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही भी समाप्त

कर दी जानी चाहिए। यह केवल एक तात्कालिकता का अस्तित्व नहीं है, बल्कि इसके तहत एक जांच को समाप्त करने की आवश्यकता है।

धारा 5-ए जिस पर विचार किया जाना चाहिए। 9999

23. धारा 4 के तहत अधिसूचना को रद्द करने को उचित ठहराना

और अधिग्रहण अधिनियम के साथ-साथ 17 के तहत तात्कालिकता के आह्वान के साथ, इस न्यायालय ने तब निष्कर्ष निकाला:

पनालुर पेपर मिल्स लिमिटेड। वी. पश्चिम बंगाल खनिज

विकास और व्यापार निगम। लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 35. अपीलार्थियों की ओर से वैकल्पिक तर्क का आग्रह किया गया

कि यदि आक्षेपित अधिसूचना संबंध में दुर्बलता से ग्रस्त है तात्कालिकता खंड को लागू करने के लिए, इसे केवल इस हद तक रद्द किया जा सकता है कि

धारा 17 और उक्त अधिसूचना की सहायता का आह्वान किया जा सकता है

इसे अधिनियम की धारा 4 तक सीमित रखना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, वही सामान्य अधिसूचना रद्द कर दी जाती है। बनवारी लाल के मामलों में कुछ पक्षों का सम्मान [संघ]

भारत का वी। बनवारीलाल एंड संस (पी) लिमिटेड, एसएलपी (सी) संख्या 4458

1991 दिनांक 21-3-1991 और शकुंतला गुप्ता [भारत संघ]

वी. शकुंतला गुप्ता (2002) 7 एस. सी. सी. 98 [एड। : (2002) 10 एस. सी. सी. 694 पर रिपोर्ट किया गया पिछला आदेश भी देखें।]] और यह कायम रहता है

दूसरों का सम्मान अर्थात इन अपीलों में उत्तरदाताओं के कारण असंगत स्थिति। इसके अलावा, यदि संघ की ओर से दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो धारा के तहत अधिसूचना

17 अधिनियम के तात्कालिकता खंड को लागू करने वाले खंड को रद्द कर दिया जाएगा लेकिन

फिर भी भूमि मालिक को अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा

संपत्ति के साथ-साथ मुआवजे के 80 प्रतिशत का भुगतान भी

अधिनियम की धारा 17 (3-ए)। ऐसा अन्यायपूर्ण परिणाम नहीं हो सकता है

अधिसूचना को केवल आंशिक रूप से रद्द करके होने की अनुमति दी गई अधिनियम की धारा 17 का विस्तार और इस उद्देश्य के लिए इसका रखरखाव

अधिनियम की धारा 4। अतः तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इन अपीलों में दर्ज की गई परिस्थितियाँ, यह संभव नहीं है

इस तर्क को स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से जब की नींव

धारा 17 को लागू करना अमान्य और अनुचित था जैसा कि इसके द्वारा बरकरार रखा गया था। बनवारी लाल्ट और शकुंतला गुप्ता में न्यायालय [भारत संघ]

वी. शकुंतला गुप्ता (2002) 7 एस. सी. सी. 98 [एड। : यह भी देखें कि पहले

(2002) 10 एस. सी. सी. 694 पर सूचित आदेश।]] . "

24. उपरोक्त को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि द्वारा दायर अपील

अर्थात् एस. एल. पी. (सी) No.10581-10583 से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपीलें

बर्खास्त किया जाना चाहिए।

25. अपीलार्थी द्वारा दायर अपीलों पर आते हुए, उक्त अपीलें एक सीमित आधार पर हैं, अर्थात्, परिसरों के अवैध भुगतान के लिए मुआवजे का आकलन जिला न्यायाधीश द्वारा नहीं किया जा सकता है। आर पश्चिम बंगाल अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 (1) (बी), धारा के रूप में

माँग की अवधि के दौरान मुआवजे को संदर्भित करता है और नहीं

संपत्ति बिना किसी अधिकार के राज्य के पास बनी हुई है।2020 के एसएलपी (सी) Nos.9834-9835 और 2020 के एसएलपी (सी) Nos.9837 से उत्पन्न होने वाली अपीलें।

माँग अवधि समाप्त होने के बाद भी कानून का। पश्चिम बंगाल अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 (1) इस प्रकार है:

" मुआवजे के संबंध में प्रावधान।

11. क्षतिपूर्ति तय करने की प्रक्रिया।

(1) जहां इस अधिनियम के तहत किसी परिसर की मांग की जाती है, वहां सभी इच्छुक व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा, जिसकी राशि इसके बाद निर्धारित किए गए तरीकों और सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, अर्थात्:

((क) जहां मुआवजे की राशि समझौते द्वारा निर्धारित की जा सकती है, वहां उसका भुगतान ऐसे समझौते के अनुसार किया जाएगा।

(ख) जहाँ ऐसा कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, वहाँ राज्य सरकार एक जिला न्यायाधीश या एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी।

जिला न्यायाधीश मध्यस्थ के रूप में; "

26. उपरोक्त प्रावधान को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अपीलार्थी अपनी प्रस्तुति में सही है, जिसे इसलिए स्वीकार किया जाता है और खंड पीठ के विवादित फैसले को इस पर अलग रखा जाता है।

हद तक। एस. एल. पी. (सी) संख्या से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपीलें। 9834-9835 2020 और एसएलपी (सी) संख्या। 9837-9838 इस प्रकार 2020 की अनुमति दी गई है।

27. इन अपीलों की एक बहुत ही परेशान करने वाली विशेषता यह है कि डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल., जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "राज्य" है, आज तक मुआवजे के लिए एक भी पैसा दिए बिना 15.08.1998 के बाद से परिसरों के गैरकानूनी कब्जे में बना हुआ है। इस न्यायालय के निर्णयों के बाद, विशेष रूप से, असम सिलीमैनाइट लिमिटेड बनाम। भारत संघ, (1990) 3 एस. सी. सी. 182 (पैराग्राफ देखें)

क्षतिपूर्ति जो कानून के किसी भी अधिकार के बिना परिसरों के कब्जे के लिए नुकसान के रूप में देय है। इस तरह के मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक लिखित प्राधिकरण हमें तुरंत, यानी 23.02.2021 से एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। रु. की राशि। 100 इस फैसले की तारीख से चार महीने के भीतर परिसरों पर अवैध कब्जे की पूरी अवधि के लिए प्रति वर्ग फुट प्रति माह (अलीपुर

न्यायाधीशों के न्यायालय के चार्टर्ड इंजीनियर, इंजीनियर आयुक्त और मूल्यांकनकर्ता बनीब्रत मुखर्जी द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 1998 से एक ही भवन में अन्य किरायेदारों द्वारा भुगतान की गई किराये की राशि का औसत)।

28. यदि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लिखित प्राधिकरण समय के भीतर प्राप्त हो जाता है, तो विद्वान मध्यस्थ को पनलुर पेपर मिल्स लिमिटेड के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण पर आगे बढ़ना होगा।

वी. पश्चिम बंगाल खनिज

विकास और व्यापार निगम। लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पक्षकारों द्वारा निर्देश पर प्रवेश करने के दो महीने की अवधि के भीतर देय अंतरिम मुआवजे का निर्धारण करने के लिए उसे प्रस्तुत किया गया मामला। इसका कारण यह है कि डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. द्वारा परिसरों पर अवैध कब्जे के लिए पिछले 22 वर्षों से एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया है।

इसके अलावा, किसी भी पक्ष को दो महीने की इस अवधि के भीतर मध्यस्थ के समक्ष कोई स्थगन नहीं लेना है, ताकि मध्यस्थ भुगतान किए जाने वाले अंतरिम मुआवजे पर निर्णय ले सके। इस तरह के अंतरिम आदेश के बाद, विद्वान मध्यस्थ अंतिम निर्णय देने के लिए आगे बढ़ेगा।

29. डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. ने खाली करने के लिए उचित समय मांगा है।

परिसर। हालांकि, इस तथ्य के आलोक में कि डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. पिछले 22 वर्षों से बिना किसी कानून के अधिकार के परिसरों के कब्जे में है।

वर्षों से, हमें नहीं लगता कि इस वर्ष के अंत तक प्रार्थना के अनुसार समय देना उचित है। इस प्रकार, हम इस निर्णय की तारीख से परिसरों को खाली करने के लिए केवल चार महीने का समय देते हैं, जो इस न्यायालय के समक्ष एक वचन पत्र दाखिल करने वाले जिम्मेदार अधिकारी पर सशर्त है कि वे चार महीने के भीतर परिसरों को खाली कर देंगे और परिसरों का खाली कब्जा अपीलार्थी को सौंप देंगे, और यदि ऐसी तारीख से पहले आदेश दिया जाता है, तो अंतरिम मुआवजे का भुगतान मध्यस्थ द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा।

सिविल अपील @एसएलपी (सी) संख्या। 9837-9838 2020 का

30. इन अपीलों में, हालांकि पश्चिम की ओर से कोई उपस्थित नहीं होता है

बंगाल शुगर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ["डब्ल्यू. बी. शुगर इंडस्ट्रीज"], जो परिसर नं. 13 , नेल्ली सेनगुप्ता सरनी (लिंडसे स्ट्रीट), कलकत्ता ["पांचवीं मंजिल परिसर"], जिसका माप लगभग 1350 है। वर्ग फुट, वही दिशाएँ डब्ल्यू. बी. शुगर इंडस्ट्रीज पर लागू होती हैं। इस प्रकार, डब्ल्यू. बी. शुगर इंडस्ट्रीज को भी 23.02.2021 से एक सप्ताह के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए एक लिखित प्राधिकरण प्रस्तुत करना है, जिसमें विफल रहने पर वे एक-एक करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे।

रु. की राशि। 100 तारीख से चार महीने के भीतर पांचवीं मंजिल के परिसरों पर अवैध कब्जे की पूरी अवधि के लिए प्रति वर्ग फुट, प्रति माह

इस निर्णय से। इसके अलावा, डब्ल्यू. बी. शुगर इंडस्ट्रीज को पांचवीं मंजिल के परिसर को खाली करने के लिए चार महीने का समय दिया जाता है, पांचवीं मंजिल के परिसर के खाली कब्जे को खाली करने और अपीलार्थी को सौंपने के लिए एक वचन पत्र जमा करने पर, और मध्यस्थ द्वारा निर्धारित समय के भीतर अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए।

31. इन अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपी

लों का निपटारा किया गया।

2 एस. एल. पी. (सी) संख्या से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपीलें। 9837-9838 2020 से।